कार्यालय : : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा ।

Tele fax:– 06582-259704; E-mail:-dfoporahat@rediffmail.com & dfo-porahat@gov.in

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ।।

पत्रांक 889 / चाईबासा, दिनांक 03-09-2018

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर।

विषय :– सोनुवा–पनसुवा–लोढ़ाई–गुदड़ी पथ के कि०मी० 0.00 से 41.56 कि०मी० तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए प्रस्तावित 18.37 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में ।

प्रसंग :– आपका पत्रांक–719 दिनांक–06.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि सोनुवा–पनसुवा–लोढ़ाई–गुदड़ी पथ के किलोमीटर 0.00 से 41.56 किलोमीटर तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम–1980 के तहत् 18.97 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है । समर्पित प्रस्ताव के साथ पातन किए जाने वाले वृक्षों का गणना सूची संलग्न नहीं है । पातन किए जाने वाले वृक्षों की गणना सूची तैयार करने हेतु किस सक्षम पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाना अपेक्षित है जो वन क्षेत्र पदाधिकारी, कुन्द्रुरूगुटू, सोनुवा से सम्पर्क कर संयुक्त रूप से गणना सूची विहित प्रपत्र में तैयार करेंगे जो अपयोजन प्रस्ताव के साथ संलग्न होगा ।

काटे जानेवाले वृक्षों की गणना सूची हेतु विहित प्रपत्र

क्रमांक	स्थल का नाम (between km….. to ……… km.	Left side or Right side (दाहिने / बाँये तरफ)	प्रजाति (Species)	गोलाई वर्ग (Girthwise enumeration of trees)					
				31 to 60 cm	60 to 90 cam	91 to 120 cm	121 to 150 cm	above 150 cm	Total no. of trees to be cut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(2) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर वनभूमि (Non forest land) उपलब्ध कराने के संबंध में कोई अभिलेख या सूचना नहीं दी गयी है।

वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 की धारा 3.2 (i) के अनुसार क्षतिपूरक वनरोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि का होना आवश्यक है।

(3) प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में जंगल–झाड़ी किस्म की भूमि भी सम्मिलित है। जंगल–झाड़ी श्रेणी की भूमि के उपयोग हेतु उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अपयोजन प्रस्ताव के साथ संलग्न होना अनिवार्य है।

अतः आपसे अनुरोध होगा कि उक्त वांछित अभिलेख शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि अपयोजन प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

आपका विश्वासी,

03.9.18

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा।

F:Sale/Waterways CKP 2016-17>svs-II

गोस्वामी
03/9/18